

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETE OF INDIA PAT-II, SECTION 3,  
SUB SECTION (i), EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi the 5-6- 2012

G.S. R. .... (E).- In exercise of the powers conferred by clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with sections 266 A, 266 B and 266 E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 namely:-


1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Companies Director Identification Number (Second Amendment) Rules, 2012.  
(2) They shall come into force with effect from 11<sup>th</sup> June, 2012.

2. In the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, in form DIN-1, after serial number 4, the following serial number shall be inserted, namely:-

“ 4A Whether resident in India  Yes  No”

[F. No. 1/1/2011-CL V]



Renuka Kumar  
Joint Secretary to Govt .of India

Note: - The principal notification was published vide number G. S. R. 649 (E), dated the 19th October, 2006 and subsequently amended vide the following notifications:-

S. No.	Notification Number	Date
01	GSR 14 (E)	09.01.2007
02	GSR 265 (E)	29.03.2007
03	GSR 849 (E)	15.10.2010
04	GSR 258 (E)	26.03.2011
05	GSR 427 (E)	02.06.2011
06	GSR 507 (E)	05.07.2011
07	GSR 395(E)	28.05.2012

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 5 जून, 2012

सा.का.नि. (अ)-- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, धारा 266ख और धारा 266ड के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी निदेशक पहचान संख्या (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 11 जून, 2012 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 के प्ररूप डी.आई.एन.-1 में, क्रम संख्यांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4क या भारत में निवासी है 0 हां 0 नहीं

[फा.सं.1/1/2011-सीएल-v]

रंजुका कुमार  
रंजुका कुमार

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.649(अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई :-

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	तारीख
01	सा.का.नि.14(अ)	09.01.2007
02	सा.का.नि.265 (अ)	29.03.2007
03	सा.का.नि.849 (अ)	15.10.2010
04	सा.का.नि.258(अ)	26.03.2011
04	सा.का.नि.427 (अ)	02.06.2011
05	सा.का.नि.507 (अ)	08.02.2011
06	सा.का.नि.385(अ)	28.05.2012